क्रम संख्या–13

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 30 जनवरी, 2008 ई0
माघ 10, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्या 114/XXIV–2/2008
देहरादून, 30 जनवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

प0 आ0–15

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकमण करते राज्यपाल, 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008

भाग– एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'सामान्य शाखा' से राजकीय सह शिक्षा वाले विद्यालय में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों से भरी जाए;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) 'महिला शाखा' से राजकीय बालिका विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला अभ्यर्थियों से भरी जाए; तथा

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में प्रवक्ता पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) प्रवक्ता– (सामान्य शाखा)

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) 50 प्रतिशत अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (सामान्य शाखा) में मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो नियम 8 के अधीन पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों, में से, पदोन्नति द्वारा,

(ख) प्रवक्ता (महिला शाखा)–

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) 50 प्रतिशत अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (महिला शाखा) में मौलिक रूप से नियुक्त शिक्षिकाओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और नियम 8 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों, में से, पदोन्नति द्वारा,

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

S

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश– केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो

परन्तु, यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हैं तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट ''क'' में प्रत्येक पद के सम्मुख विर्निदिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(दो) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
(तीन) एन0एस0एस0 का 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार, या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु, यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पाँच–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी तद्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सीधी भर्ती की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते

हुए उतने अभ्यर्थियों को जितने वे पर्याप्त समझें और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम–17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और

पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है,

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी श्रेणी के पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी श्रेणी के पदों पर किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश की तारीख से किया जायेगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हों,

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती तारीख विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसके मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य प्रकरणों में उसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा,

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया हो।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का

पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

भाग सात–वेतन आदि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे :–

पद का नाम	वेतनमान (रू0 में)
प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा	6500–200–10,500

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह स्थायी सरकारी सेवा में न हो, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा अवधि में ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे उन विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों में शिथिलीकरण

26. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 8 देखिए)

अर्हताएं

क्र. सं.	पद का नाम	अनिवार्य अर्हता
1	प्रवक्ता, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
2	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
3	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। या 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एड0)।
4	प्रवक्ता जीव विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

5	प्रवक्ता, हिन्दी	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 3. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
6	प्रवक्ता, उर्दू	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
7	प्रवक्ता, संस्कृत	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0/शिक्षाशास्त्री)।
8	प्रवक्ता, तर्कशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
9	प्रवक्ता, शारीरिक प्रशिक्षण	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से द्विवर्षीय एम0पी0ई0/एम0पी0एड0।

10	प्रवक्ता, गृह विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
11	प्रवक्ता संगीत (गायन) (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (गायन) विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
12	प्रवक्ता, संगीत (वाद्य) (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वाद्य) विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
13	प्रवक्ता, कला (सामान्य शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
14	प्रवक्ता, वाणिज्य	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

15	प्रवक्ता, कृषि शास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
16	प्रवक्ता, सिलाई (महिला शाखा)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से सिलाई में दो वर्ष का डिप्लोमा।
17	प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि।
		2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
18	प्रवक्ता, भूगर्भशास्त्र	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।

19	प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)। अथवा 1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (एम0सी0ए0) की उपाधि।

आज्ञा से,

हरीश्चन्द्र जोशी,
सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 114/XXIV-2/2008, dated January 30, 2008 :

No. 114/XXIV-2/2008

Dated Dehradun, January 30, 2008

NOTIFICATION

Miscellenious

In exercise of the powers conferred by the provison to Article 309 of the constitution and in supersession of all existing Rules and orders on the subject, The Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service:-

THE UTTARAKHAND SPECIAL SUBORDINATE EDUCATION (LECTURER'S CADRE) SERVICE RULES, 2008

PART I--GENERAL

Short title and Commencement 1. (1) These Rules may be called "The Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2008."

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service 2. The Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service is a State service Comprising Group 'C' posts.

Definitions 3. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) 'Appointing Authority' means Additional Director of Education, Head Quarter;
(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;
(d) 'Constitution' means the Constitution of India;
(e) 'General Branch' means the branch of service in Government co- educational schools, to be filled by both female and male candidates;
(f) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;
(g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
(h) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these Rules or orders in force prior to the commencement of these Rules to a post in the cadre of the Service;
(i) 'Service' means the Uttarakhand Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre) Service;
(j) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service made after selection in accordance with the Rules and, if there were no Rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
(k) 'Women's Branch' means the branch of service in Government Girls' Schools, to be filled by female candidates; and
(l) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II--CADRE

Cadre of Service 4. The strength *of* the service shall be such as may be determined by the Government from time to time, provided that:-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

Source of recruitment 5. Recruitment to the service shall be made from the following sources:-

(a) Lecturer (General Branch)	(i) 50 percent by direct recruitment through the Commission.
	(ii) 50 percent by promotion from amongst substantively appointed Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Grade) teachers (General Branch) who have completed 'five years' service on the first day of the year of the recruitment, and who possess the requisite qualification prescribed for the post under rule 8.
(b) Lecturer (Women's Branch)	(i) 50 percent by direct recruitment through the Commission.
	(ii) 50 percent by promotion from amongst substantively appointed Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Grade) teachers (Women's Branch) who have completed five years' service on the first day of the year of the recruitment, and who possess the requisite qualification prescribed for the post under rule 8.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV--QUALIFICATION

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be --

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or.

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility, granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A Candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour .

Academic Qualification 8. A candidate for recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications specified against each post in Appendix 'A'.

Preferential Qualification 9. A candidate who has: -

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, or
(iii) obtained a 'C' certificate of N.S.S.,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE--Persons dismissed by the union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in the service Person convicted of an offence involving moral turpitude, shall also not be eligible.

Marital Status 12. A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely *to* interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in

accordance with the Rules framed under Fundamental Rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate, recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6. Vacancies to be filled by direct recruitment shall be intimated to the Commission.

Procedure for direct recruitment 15. (1) Applications for being considered for selection by direct recruitment shall be called by the Commission in the prescribed *proforma* published in the advertisement issued by the commission.

(2) The commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories in accordance with Rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualifications as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview.

If two or more candidates obtain equal marks, the commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25 percent) than the number of the vacancies. The commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure of Recruitment by Promotion through the Commission 16. Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.

Combined select list 17. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained; the first name in the list shall be of the person, appointed by promotion.

PART VI- -APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, or 17 as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be

made unless selections are not being made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of anyone selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority, as determined in the selection of, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

Probation 19. (1) A person on substantives appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted,

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 20. (1) subject to the provision of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if--

(a) he has passed the prescribed departmental examination, if any,

(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any,

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(d) his integrity is certified, and

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority 21. 1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined according to the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. The seniority of persons in any category of post shall be determined from the date of the orders of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date, will be

deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order

Provided also that if after a selection, more than one appointment orders are issued in relation to a selection, the seniority shall be such as is mentioned in the combined appointment order issued under rule 18(3).

(2) The inter-se seniority of persons, appointed directly on the result of anyone selection, shall be the same as determined by the Commission or the Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him.

(3) The inter-se Seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter* se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained.

PART VII- PAY ETC.

Scales *of* pay 22. (1) The scales *of* pay, admissible to persons appointed to the various categories *of* posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time *of* the commencement *of* these rules are given as follows:--

Name of post	Scale *of* pay (in Rupees)
Lecturer Special Subordinate Education (Lecturer's Cadre)	6500-200-10500

Pay during probation 23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year *of* satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years *of* service when he has completed the probation period and is also confirmed;

Provided that, if the period *of* probation is extended on account *of* failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation *of* a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs *of* the State.

Provided that, if the period *of* probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation *of* a person who was already holding a permanent post under the Government, shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs *of* the State.

PART VIII--OTHER PROVISIONS

Canvassing 24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the Rules applicable to the post or service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 25. In regard to the matters not specifically covered by these Rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the Rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service 26. Where the State Government is satisfied that the operation of any Rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the Rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a Rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the Rules are dispensed with or relaxed.

Saving 27. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government, issued from time to time in this regard.

APPENDIX 'A'

(See Rule 8)

Qualification

Sl. No.	Post	Qualification
1.	Lecturer, Sociology, Geography, Economics, History, Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Psychology English, Punjabi, Bangala	(1) (1) A Post-Graduate degree in the respective subject of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in education (B.Ed.) from a University established by law
2.	Lecturer, Political Science	(1) A Post-Graduate degree in Political Science of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognized training college/college or graduate degree in education (B.Ed.) from a University established by law.
3.	Lecturer, Education	(1) A Post-Graduate degree in Education of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognized training college/college or graduate degree in education (B.Ed.) from a University established by law. or (1) A degree of Master of Education (M.Ed.) of a University established b law in India.
4.	Lecturer, Biology	(1) A Post-Graduate degree in Botany or Zoology of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established b law.
5.	Lecturer, Hindi	(1) A Post-Graduate degree in Hindi of a University established by law in India. (2) A Bachelor's degree in Arts with Sanskrit or a Certificate of Shastri Examination of Sanskrit University, Varanasi. (3) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in education (B. Ed.) from a University established by law.
6.	Lecturer, Urdu	(1) A Post-Graduate degree in Urdu of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in education (B. Ed.) from a University established by law.
7.	Lecturer, Sanskrit	(1) A Post-Graduate degree in Sanskrit of a University established by law in India.

		(2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in education (B. Ed./ Shiksha Shastri) from a University established by law.
8.	Lecturer Logic	(1) A Post-Graduate degree in Philosophy of a University established by law in India (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in education (B. Ed.) from a University established by law.
9.	Lecturer, Physical Training	Two year M.P.E./M.P.Ed. from a University established by law in India by Government or Government
10.	Lecturer, Home Science	(1) A Post-Graduate degree in Home Arts or Home Science of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law
11.	Lecturer Music (Vocal) (Women's Branch)	(1) A Post-Graduate degree in Music (Vocal) of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B. Ed.) from a University established by law
12.	Lecturer in Music (Instrumental) (Women's Branch)	(1) A Post-Graduate degree of a Music Instrumental) University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law
13.	Lecturer. Art (General Branch)	(1) A Post-Graduate degree ,in Drawing and Painting of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law
14.	Lecturer, Commerce	(1) A Post-Graduate degree in Commerce of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law
15.	Lecturer, Agriculture	(1) A Post-Graduate degree in Agriculture of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law
16.	Lecturer, Tailoring (Women's Branch)	(1) A Post-Graduate degree of a University established by law in India. (2) Two years diploma in tailoring from a Government or Government recognised institution.

17.	Lecturer, Military Science	(1) A Post-Graduate degree in Military Science or Defence Study or Military Study of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law.
18.	Lecturer, Geology	(1) A Post-Graduate degree in Geology of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B. Ed.) from a University established by law.
19.	Lecturer, a Computer Science	(1) A Post-Graduate degree in Computer Science of a University established by law in India. (2) L.T. Diploma of a Government or Government recognised training college/college or graduate degree in Education (B.Ed.) from a University established by law. or (1) A Post-Graduate degree of Master in Computer Application (M.C.A.) of a University established by law in India.

By Order,

HARISHCHANDRA JOSHI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 शिक्षा / 101–2008–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।